न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर

पीठासीन अधिकारी—श्रीमती रीना (आर.ए.एस.)

अनुवान मधुसूदन सर्राफ वगैरा बनाम राजस्थान राज्य

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955

एवं धारा 136 रा.भू.रा. अधि. 1956

दावा सं. 24/2020

निर्णय दिनांक 29.09.2020

1. मधुसूदन सर्राफ पुत्र बृजमोहन सर्राफ जाति अग्रवाल निवासी बालिका विद्यालय के पास, सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
2. सहनाज बानो पत्नी सुमित मालावत जाति मुसलमान मालावत निवासी गली नं. 7, धोबी तलाई, बीकानेर राजस्थान

—वादीगण

बनाम्

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सरदारशहर जिला चूरू

—प्रतिवादी

उपस्थिति —

श्री महेन्द्र कुमार सींवर एडवोकेट वास्ते वादीगण

राज पैरोकार वास्ते प्रतिवादी

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का विवरण इस प्रकार से है कि यह कि वादी सं0 1 की तन्हा खातेदारी कृषि भूमि ख0 नं0 218/191 रकबा 1.4100 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर में स्थित है। वादी सं0 1 के उक्त खेत के पश्चिमी तरफ वादीगण का संयुक्त खातेदारी खेत ख0 नं0 219/217 रकबा 0.2600 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर में स्थित है। यह कि वादी सं0 1 के खेत ख0 नं0 218/191 में प्रवेश का रास्ता ख0 नं0 220/217 गै.मु. रास्ता रकबा 0.0400 हैक्टेयर है। उक्त रास्ता के उतर दक्षिणी तरफ की भूमि ख0 नं0 219/217 रकबा 0.2600 हैक्टेयर वादीगण सांझेदारी की है। रास्ता की भूमि को वादीगण द्वारा उपयोग उपभोग लिया जाता आ रहा है तथा मौके पर रास्ता भूमि ख0 नं0 220/217 के उतर व दक्षिणी तरफ ख0 नं0 219/217 की भूमि स्थित है। वर्तमान में संवत 2072 में प[illegible]श के दौरान रास्ता भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2020.10.19 17:31:36 IST
Reason: SelfAttested

ख0 नं0 220/217 रकबा 0.0400 हैक्टेयर को तय स्थान से हटाकर गलत रूप से बिना हक अधिकार के बन्दोबस्त कर्मचारियों ने नक्शा में रास्ता को दक्षिणी तरफ तरमीम कर दिया तथा इसी प्रकार वादीगण की भूमि ख0 नं0 219/217 रकबा 0.2600 हैक्टेयर को रास्ता के दोनों तरफ तरमीम नहीं करते हुए रास्ता के उतरी तरफ एकल गलत रूप से तरमीम कर दिया गया। बन्दोबस्त विभाग के राजस्व कर्मचारियों को मौके के अनुसार ही भूमियों की पेमाईश कर राजस्व रिकॉर्ड तैयार किया जाना था। जबकि बन्दोबस्त विभाग के राजस्व कर्मचारियों ने वादीगण को बिना सबूत सुनवाई का समुचित अवसर दिये अपने हक अधिकारों से बाहर जाकर राजस्व रिकॉर्ड नक्शा व जमाबन्दी तैयार कर दी। दावा के साथ अंकित नजरी नक्शा में दर्शाया गया है कि

- लाल रंग भरी सम्पूर्ण भूमि वादी सं0 1 मधुसूदन की है जिसके पश्चिमी तरफ बिना रंग भरी ख. नं. 220/217 रकबा 0.0400 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता की भूमि है।
- (1) हरा रंग भरी सम्पूर्ण भूमि ख. नं. 219/217 रकबा 0.2600 हैक्टेयर में से वादी सं0 1 मधुसूदन की है जिसका रकबा 0.0600 हैक्टेयर है
- (2) हरा रंग भरी सम्पूर्ण भूमि ख. नं. 219/217 रकबा 0.2600 हैक्टेयर में से वादी सं0 1 मधुसूदन की है जिसका रकबा 0.0300 है।
- नीला रंग भरी सम्पूर्ण भूमि ख.नं. 219/217 रकबा 0.2600 हैक्टेयर में से 1303/2017 हिस्सा यानि 0.1700 हैक्टेयर वादी सं0 2 सहनाज बानो का है जिसके दक्षिणी तरफ बिना रंग भरी गै.मु. रास्ता की भूमि है।

वादीगण उपरोक्तानुसार प्रदर्शित नक्शा के मुताबिक अपना हिस्सा घोषित करवाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाकर ख. नं. 219/217 का विभाजन करवाना चाहते हैं तथा ख. नं. 220/217 गै.मु. रास्ता भूमि को मौके अनुसार नक्शा में तरमीम करवाना चाहते हैं।

वादीगण वादगत कृषि भूमि के खातेदार काबिज काश्तकार हैं। दावा की मद सं0 2 में प्रदर्शित रंग भरे नक्शा के अनुसार कब्जा काश्त तथा उपयोग उपभोग वादगत भूमि पर चला आ रहा है। वादी सं0 1 व 2 ने अपनी हिस्सा भूमि को अलग–अलग कर सीमाचिन्ह बना रखे हैं। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में भूमि सांझेदारी में दर्ज है तथा सेटलमेंट के कर्मचारियों ने वर्तमान में हुए बन्दोबस्त संवत 2072 के दौरान ख0 नं0 220/217 रकबा 0.0400 हैक्टेयर भूमि को मौका के विपरीत गलत रूप से तरमीम कर दिया गया है। इसलिए वादीगण वादगत कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड नक्शा को दुरूस्त करवाकर [illegible] के अनुसार भूमि का विभाजन करवाकर अपने हिस्सा की घोषणा करवाने के [illegible] हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2020.10.19 17:31:36 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने राजस्व रिकॉर्ड की नकले हासिल कर प्रतिवादी से गलत तरमीम हुए नक्शा को दुरूस्त करने एवं मौका के अनुसार खाता विभाजन करने हेतु निवेदन किया लेकिन दिनांक 14.02.2020 को प्रतिवादी ने दुरूस्ती करने से इनकार कर दिया।

इस प्रकार वादीगण ने रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं खाता विभाजन एवं शुद्धिकरण गलत नक्शा तरमीम का वाद प्रस्तुत कर ख0 नं0 219/217 रकबा 0.2600 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर की भूमि में वादी सं0 1 का हरा रंग भरकर मार्क (1) का रकबा 0.0600 हैक्टेयर है व मार्क (2) का रकबा 0.0300 हैक्टेयर है की भूमि वादी सं0 1 की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है। जिसे तद्नुसार विभाजित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर अलग खसरा नम्बर व रकबा कायम किये जाने एवं ख0 नं0 219/217 रकबा 0.2600 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर की भूमि में वादी सं0 2 का दावा की मद सं0 2 में नीला रंग भरकर दर्शायी 1303/2017 हिस्सा भूमि यानि 0.1700 हैक्टेयर वादी सं0 2 की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है। जिसे तद्नुसार विभाजित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर अलग खसरा नम्बर व रकबा कायम किये जाने तथा सेटलमेंट के कर्मचारियों द्वारा सेटलमेंट के दौरान ख0 नं0 220/217 रकबा 0.0400 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता को तय स्थान से भिन्न स्थान पर नक्शा में तरमीम कर दिया गया जबकि उक्त रास्ता दावा की मद सं0 2 में बिना रंग भरकर दर्शाये गये स्थान से होकर गुजरता है जिसे तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम किये जाने का अनुतोष चाहा।

वाद वादीगण द्वारा दिनांक 04.03.2020 को प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को सशुल्क तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज उपस्थित आये और दिनांक 22.06.2020 को जबाब पेश कर वादीगण के वाद में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं करते हुए जबाब में अंकित किया कि प्रकरण में कोई राज्य हित निहित नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादी की ओर से वादीगण के दावा का कोई प्रतिकार नहीं किया गया अतः तनकी कायमी की आवश्यकता नहीं हुई तत्पश्चात पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण मुकर्रर की गई। बतौर साक्ष्य PW-1 मधुसुदन ने दिनांक 02.09.2020 को अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया और अपने बयान लेखबद्ध करवाये और दस्तावेज प्रदर्श–1 जमाबन्दी, प्रदर्श–2 जमाबन्दी, प्रदर्श–3 जमाबन्दी, प्रदर्श–4 नक्शा, प्रदर्श–5 समर्पण पत्र, प्रदर्श–6 समर्पण बाबत दरख्वास्त शहनाज, प्रदर्श–7 दस्तावेजद समर्पण पत्र, प्रदर्श–8 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–9 इंतकाल, प्रदर्श–10 इंतकाल प्रदर्शित करवाये। साक्ष्य प्रतिवादी में राज पेरोकार ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये अतः साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2020.10.19 17:31:36 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील वादीगण सुनी गई। वकील वादीगण ने अपने दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि वादगत भूमि के राजस्व अभिलेख को वर्तमान में संवत 2072 में हुई पेमाईश के दौरान रास्ता भूमि ख0 नं0 220/217 रकबा 0.0400 हैक्टेयर को तय स्थान से हटाकर गलत रूप से बिना हक अधिकार के बन्दोबस्त कर्मचारियों ने नक्शा में रास्ता को दक्षिणी तरफ तरमीम कर दिया तथा वादीगण की भूमि ख0 नं0 219/217 रकबा 0.2600 हैक्टेयर को रास्ता के दोनो तरफ तरमीम नहीं करते हुए उतरी तरफ एकल रूप से गलत तरमीम कर दिया और वादीगण को सुनवाई का कोई अवसर बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों ने नहीं दिया। बन्दोबस्त कर्मचारियों को दौराने बन्दोबस्त राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियों को यथावत दोहराना ही था। जबकि उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वादीगण के सही चले आ रहे राजस्व रिकॉर्ड को गलत विधि विरूद्ध तरमीम कर दिया। वकील वादीगण ने दस्तावेज प्रदर्श 1 ता 10 की ओर ध्यान दिलाते हुए अदालत से इन दस्तावेजों के अवलोकन का अनुरोध किया और दावा के साथ प्रस्तुत किये गये अन्य दस्तावेजों की ओर तथा जबाब दावा की ओर भी ध्यान दिलाया और यह भी दलील दी कि वादीगण के दावा का खण्डन प्रतिवादी द्वारा नहीं किया गया है वादीगण ने तर्क दिया कि वादीगण अपने दावा में वर्णित तथ्यों को प्रमाणित करने में पूर्णतया सफल रहे हैं और दावा की मद सं0 2 में तथा अनुतोष 'क' ता 'ग' के अनुसार दावा डिक्री करने का निवेदन किया। वादी संख्या 02 ने उक्त रास्ते का समर्पण नामा पेश किया, जो प्रदर्श 07 हैं जिसमें नक्शा पेश कर समर्पण करने का निवेदन किया जिसमें भी उक्त रास्ता वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष के स्थान पर ही दिखाया गया हैं तथा उसे दर्ज करते समय खसरें के दक्षिण हिस्से में समर्पण पत्र के अनुसार दर्ज नहीं किया जिसका विवरण दावे की मद संख्या 02 में दर्ज हैं एवं इसे राज पैरोकार में जबाब में स्वीकार किया हैं।

वकील वादीगण के तर्कों का ध्यानपूर्वक मनन किया गया और पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादी के जबाब का मनन किया गया। प्रतिवादी द्वारा वाद का कोई विरोध या प्रतिवाद नहीं किया गया है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा के तथ्य पूर्णत साबित हैं।

आदेश

वर्णित विवेचन से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है फलस्वरूप वाद स्वीकार किया जाता है और प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को आदेशित

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2020.10.19 17:31:36 IST
Reason: SelfAttested

किया जाता है कि ख0 नं0 219/217 रकबा 0.2600 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर की भूमि में वादी सं0 1 का नजरी नक्शा में हरा रंग भरकर मार्क (1) का रकबा 0.0600 हैक्टेयर है व मार्क (2) का रकबा 0.0300 हैक्टेयर है की भूमि वादी सं0 1 की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है। जिसे तद्नुसार विभाजित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर अलग खसरा नम्बर व रकबा कायम किया जावे एवं ख0 नं0 219/217 रकबा 0.2600 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर की भूमि में वादी सं0 2 की नजरी नक्शा में नीला रंग भरकर दर्शायी 1303/2017हिस्सा भूमि यानि 0.1700 हैक्टेयर वादी सं0 2 की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है। जिसे तद्नुसार विभाजित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर अलग खसरा नम्बर व रकबा कायम किया जावे तथा ख0नं0 220/217 रकबा 0.0400 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता को नजरी नक्शा में बिना रंग भरकर दर्शाये गये स्थान पर तरमीम कर तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा में दुरूस्ती की जावे और उसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावे। नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न भाग हो। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार सरदारशहर को पालनार्थ भेजी जावे।

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर(चूरू)

निर्णय आज दिनांक 29.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर(चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.10.19 17:31:36 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री ब मुकद्देमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D')
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सरदारषहर
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना (आर. ए. एस.)
अनुवान मधुसूदन सर्राफ वगैरा बनाम राजस्थान राज्य
दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955
एवं धारा 136 रा.भू.रा. अधि. 1956
दावा सं. 24/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री महेन्द्र कुमार सींवर एडवोकेट एवं पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है तथा वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि कृषि भूमि ख0 नं0 219/217 रकबा 0.2600 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर की भूमि में वादी सं0 1 का नजरी नक्शा में हरा रंग भरकर मार्क (1) का रकबा 0.0600 हैक्टेयर है व मार्क (2) का रकबा 0.0300 हैक्टेयर है की भूमि वादी सं0 1 की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है। जिसे तद्नुसार विभाजित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर अलग खसरा नम्बर व रकबा कायम किया जावे एवं ख0 नं0 219/217 रकबा 0.2600 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर की भूमि में वादी सं0 2 की नजरी नक्शा में नीला रंग भरकर दर्शायी 1303/2017हिस्सा भूमि यानि 0.1700 हैक्टेयर वादी सं0 2 की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है। जिसे तद्नुसार विभाजित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर अलग खसरा नम्बर व रकबा कायम किया जावे तथा ख0नं0 220/217 रकबा 0.0400 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता को नजरी नक्शा में बिना रंग भरकर दर्शाये गये स्थान पर तरमीम कर तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा में दुरूस्ती की जावे और उसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावे। नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न भाग हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

....

बीज......................................मुबलि ....बाबत .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29 माह 09 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत...................

मुहर

ओहदा ....

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	08	00	स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	04	00	स्टाम्प वजह सबूत	00	00
महनताना वकील	00	00	महनताना वकील	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	फीस कमिष्नर	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
मुतफर्रिक	02	00	मुतफर्रिक	00	00
मिजान	16	00	मिजान	01	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.10.19 17:31:36 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.10.19 17:31:36 IST
Reason: SelfAttested